उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–9
संख्या– 91 /2017/XXVII(9)/स्टाम्प–55/2009
देहरादून:: दिनांक 12 अप्रैल, 2017

अधिसूचना

चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है;

अतः राज्यपाल, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2, वर्ष 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, शासन की अधिसूचना संख्या–160/2016/XXVII(9)/स्टाम्प–55/2009, दिनांक 30 जून, 2016 में आंशिक संशोधन करते हुए आगामी 05 वर्ष अर्थात् दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2022 की तारीख तक ₹ 5,00,000.00 (₹ पांच लाख मात्र) तक के कृषि सम्बन्धी क्रिया–कलापों के प्रयोजनार्थ लिये गये ऋणों हेतु निष्पादित बन्धक विलेखों पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य न किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

/
(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या–91 (1)/2017/XXVII(9)/स्टाम्प–55/2009, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूं, उत्तराखण्ड।
3. महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. उप–निदेशक, लिथो प्रेस, रूड़की को हिन्दी अधिसूचना की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह इसे गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कर 100 प्रतियां शासन के वित्त अनुभाग–9 को उपलब्ध करा दें।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनु सचिव।